भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

आपराधिक अपीलीय संख्या 357/2008

राजस्थान राज्य - अपीलकर्ता

बनाम

रामानंद - प्रतिवादी

निर्णय

उदय उमेश ललित, न्यायाधीश

1. प्रतिवादी को विचारण न्यायालय ने सेशन केस संख्या 62/2000 में भा.दं.सं. की धारा 302 और 201 के तहत अपनी पत्नी अनीता और बेटी एकता की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया था और धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और भा.दं.सं. की धारा 201 के तहत 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। प्रतिवादी द्वारा की गई आपराधिक अपीलीय संख्या 20/2002 में, राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 07.03.2006 के द्वारा उसे भा.दं.सं. की धारा 302 और 201 के तहत आरोपों से बरी

कर दिया, लेकिन उसे भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया और उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसे विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में निर्णय को चुनौती दी गई है ।

2. दिनांक 21.09.2000 को लगभग रात्रि 9:11 बजे एक रिपोर्ट प्रदर्श D-1 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो इस प्रकार हैः-

सेवा में,

श्रीमान एस.एच.ओ.

पुलिस थाना पाटन

श्रीमान,

सम्मानपूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि मेरी पत्नी को आज शाम 5.30 बजे जला दिया गया। मैं अपनी दुकान पर था और मेरा भाई भी वहीं था। मेरी मां और छोटे भाई की पत्नी बिहार में हमारे घर गई थीं।मेरी पत्नी आधी पागल थी। उसे जला दिया गया। जब घर में धुंआ उठा और घर से रोने की आवाजें आने लगीं तो पड़ोसी दौड़कर मेरी दुकान पर आया और मुझे सूचना दी। मैं घर गया, सीढ़ियों पर चढ़ा और दरवाजे को खोला। मैंने देखा कि मेरी पत्नी और बेटी को जला दिया गया था।उपरोक्त प्रतिवेदन तैयार किया गया है। मेरी शादी करीब 10 साल पहले 21.09.2000 को हुई थी।

एसडी/-

आपका

रामानंद अग्रवाल पुत्र श्री विशशवर दयाल

आर. एस. डबला"

3.पूर्वोक्त रिपोर्ट केस डायरी में दर्ज की गई थी और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत उपयुक्त कदम पीडब्ल्यू 14 तुलसीराम द्वारा उठाए गए थे, जो संबंधित समय पर पाटन पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे। अगले दिन लगभग 6:15 बजे एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श. P-2 पीडब्ल्यू 2 राकेश अग्रवाल, मृतक अनीता के भाई से प्राप्त हुई थी कि उसकी बहन और भतीजी को जलाकर मार डाला गया था; कि उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्य उसकी बहन और भतीजी की मौत के लिए जिम्मेदार थे।

4. पी. डब्ल्यू 15 एएसआई राजेंद्र सिंह को रिपोर्ट (प्रदर्श. 2) मिली, जिसके तहत अपराध दर्ज कर जांच की गई। अनीता और एकता के शवों के संबंध में जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी 6 और पी 7) तैयार की गई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शवों के फोटो भी लिए गए, (प्रदर्श पी 14 - पी 19) और घटना स्थल का साइट प्लान, (प्रदर्श पी-21) भी तैयार किया गया। शवों का पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों के बोर्ड

द्वारा किया गया। अनीता के संबंध में, रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां थीं:

> "पूरी तरह से निर्मित और पोषित है, पीएम लिविडिटी शरीर के पीछे मौजूद है। आर.एम. पूरे शरीर में मौजूद। शरीर पर आंशिक रूप से जले कपड़े मौजूद हैं। मिट्टी के तेल की तरह कोई गंध नहीं है। धड़ और कूल्हों के पिछले हिस्से को छोड़कर पूरा शरीर जल गया है। जलने की सीमा केवल त्वचा तक सीमित है। सिर और जघन क्षेत्र के बाल आंशिक रूप से जले हैं और बगल के बाल पूरी तरह से जले हुए हैं। चेहरा सूजा हुआ है। जीभ बाहर निकली हुई-सूजी हुई। आंखें आंशिक रूप से खुली हुई हैं जिनमें पैटेशियल रक्तस्राव हो रहा है। दोनों हाथ बंधे हुए हैं। नाक और मुंह दोनों से खूनी झाग निकल रहा है।
>
> "मेडिकल बोर्ड की राय में मौत का कारण गला घोंटने (थ्रोटलिंग) के कारण एस्पिक्सिया है।
>
> झुलसने सेे आयी चोट प्रकृति में मृत्यु पश्चात की है क्योंकि न तो कोई फफोले के निशान है, न लालिमा है और न ही सूजन या दाह के निशान है।

एकता के संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईंः

"पूरी तरह से निर्मित और पोषित, शरीर के पीछे मौजूद पीएम लिविडिटी, आर एम पूरे शरीर में मौजूद है। शरीर पर आंशिक रूप से जले कपड़े मौजूद हैं। मिट्टी के तेल पदार्थ जैसी कोई गंध नहीं। धड़ और कूल्हों के पिछले हिस्से को छोड़कर पूरा शरीर जला हुआ है।(प्रकृति में पी.एम.) जलने की सीमा केवल त्वचा तक सीमित है।सिर के बाल आंशिक रूप से जले हुए है। चेहरा सूज गया है। जीभ बाहर निकली हुई-सूजी हुई है। आंखें आंशिक रूप से खुली हुई हैं जिनमें पैटेशियल रक्तस्राव हो रहा है। दोनों हाथ बंधे हुए हैं। नाक और मुंह दोनों से खूनी झाग निकल रहा है।

"मेडिकल बोर्ड की राय में मौत का कारण गला घोंटने (थ्रोटलिंग) के कारण एस्पिक्सिया है- झुलसने से आयी चोट प्रकृति में मृत्यु पश्चात की है क्योंकि न तो कोई फफोले के निशान है, न लालिमा है और न ही सूजन या दाह के निशान है।"

5. जांच पूरी होने के बाद, वर्तमान प्रतिवादी सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रतिवादी, उसकी मां नारंगी देवी और भाई विनोद कुमार के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498ए, 302/34, 201 के तहत आरोप तय किए गए थे, जबकि उसके अन्य भाइयों मुकेश कुमार, मूलचंद और महेश कुमार पर भा.दं.सं. की धारा 201/ 511 के तहत आरोप तय किए गए थे। उन पर सेशन केस संख्या 62/2000 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नीमका थाना की अदालत में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने पंद्रह गवाहों से पूछताछ की। पीडब्ल्यू 1, 2, 3, 4 और 5, मृतक अनीता के क्रमशः पिता, भाई, माता, चचेरे भाई और बहनोई ने दहेज या उत्पीड़न की मांगों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। पीडब्ल्यू 7, नंदलाल, पड़ोसी भी मुकर गया, लेकिन प्रतिपरीक्षा में कहा कि जब घर से चिल्लाने की आवाज आई, तो वह उन लोगों के बीच था जो घर गए थे और दरवाजा खोला था। उसके मुताबिक दरवाजा अंदर से बंद था। पी डब्ल्यू 10 बोर्ड के एक सदस्य डॉ. सुरेंद्र कुमार मीणा, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का संचालन किया था, ने साबित किया (रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 और पी- 13) और कहा कि मौत गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी और अनीता और एकता को पहले मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद उनके शवों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। पीडबल्यू12 महेश शर्मा, फोटोग्राफर ने तस्वीरों को साबित

किया (प्रदर्श पी-14 से पी-19)। पीडब्ल्यू14 उप-निरीक्षक तुलसीराम ने प्रतिपरीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, रामानंद ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से पहले मुझे एक आवेदन दिया था। यह आवेदन केस डायरी के साथ संलग्न है। उपर्युक्त आवेदन सीआरपीसी की धारा 174 के तहत किया गया था, जो प्रदर्श डी-1 है। इसी प्रकार पीडब्लू 15 राजेंद्र सिंह ने अपनी प्रति परीक्षण में कहा; "मौके पर जाने से पहले रिपोर्ट (प्रदर्श डी-1) प्राप्त हो चुकी थी। यह रिपोर्ट एसएचओ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।"

6. मेडिकल साक्ष्य सहित अभिलेख पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि अनीता और एकता दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी और यह मामला गैर इरादतन हत्या का था। विचाराधीन अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में, यह पाया गया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो अभियुक्त नं. 2 से 6 की संलिप्तता का संकेत देता हो। इसके अलावा, मृतक अनीता के सभी रिश्तेदार पलट गए और दहेज की मांगों के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया, धारा 498 ए के तहत कोई अपराध साबित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि अपराध का मकसद भी स्थापित नहीं किया गया था और किसी भी मामले में अनीता की मौत शादी के 10 साल बाद हुई थी। विचारण न्यायालय ने बाकी अभियुक्तों को बरी करते हुए,

प्रतिवादी को धारा 302 और 201 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया और उसे धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 भा.दं.सं. के तहत तीन साल कारावास की सजा सुनाई।

7. पीड़ित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में डीबी क्रिमिनल अपील संख्या 20/2002 दायर की, जिसमें पाया गया कि प्रतिवादी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया गया था।हालाँकि, यह यह मत था कि रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी धारा 306 के तहत अपराध का दोषी था। इस प्रकार, प्रतिवादी को भा.दं.सं. की धारा 302 और 201 के तहत आरोपों से बरी करते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया गया। प्रतिवादी पांच वर्ष और चार महीने से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश को पहले से ही गुजरी अवधि तक घटा दिया गया था।

8. राजस्थान राज्य के अनुरोध पर यह अपील उच्च न्यायालय के विनिश्चय की शुद्धता को चुनौती देती है। ***सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह*** और श्री सुशील कुमार जैन में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह यह प्रस्तुत करने का हकदार है कि प्रतिवादी को सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए।

9. रिकॉर्ड में मौजूद चिकित्सा साक्ष्य बहुत स्पष्ट और सटीक हैं कि मौत गला घोंटने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद, पीडबल्यू10 डॉ. सुरेंद्र कुमार मीणा की गवाही और तस्वीरों से (प्रदर्श 14 से 19 तक), यह बहुत स्पष्ट है कि अनीता और एकता की मृत्यु जलने से नहीं हुई थी । उनकी मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई और उनके शरीर को आग के हवाले किया गया ताकि यह यह धारणा बनाई जा सके कि उनकी मृत्यु जलने से हुई है। इसलिए निचली अदालत का निष्कर्ष पूरी तरह से सही था। यह कल्पना करना असंभव है कि कैसे अनीता ने खुद का गला घोंट लिया और फिर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। अतः उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्णतया अनुचित है। नतीजतन धारा 306 भा.दं.सं. के तहत प्रतिवादी को दोषसिद्धि नहीं हो सकती थी।

10. फिर सवाल उठता है कि क्या प्रतिवादी भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 201 भा.दं.सं. के तहत अपराध का दोषी था। तथ्य यह है कि मौतें गैर इरादतन हत्या के परिणामस्वरूप हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी को अपराध का लेखक (कर्ता) कहा जा सकता है। इस संबंध में अभियोजन का पूरा मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सच है कि मौत उस कमरे में हुई है जिसमें प्रतिवादी पत्नी, अनीता और बेटी एकता के

साथ रहता था। लेकिन यह सुझाव देने के लिए किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई है कि प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी अपने निवास स्थान या आसपास था। शादी 10 साल से अधिक पुरानी थी और इसलिए किसी भी मामले में कोई वैधानिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, विशेष रूप से, जब अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने दहेज और उत्पीड़न की मांगों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था। गला घोंटने के निशान के अलावा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी अन्य शारीरिक चोट के बारे में कुछ भी नहीं पाया गया।दहेज या संबंधित उत्पीड़न के संबंध में किसी भी सबूत की अनुपस्थिति भी प्रतिवादी की ओर से किसी भी मकसद की उपस्थिति के तत्व को समाप्त कर देती है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने प्रतिवादी के खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं लगाया और न ही कोई अन्य सहायक परिस्थितियाँ हैं जैसे कि किसी प्रासंगिक तथ्य का पता लगाना।

11. इसलिए, हमारे पास एकमात्र सामग्री है, अर्थात् प्रदर्श डी-1, जो प्रतिवादी द्वारा की गई रिपोर्टिंग थी। यह निःसंदेह दर्शाता है कि प्रतिवादी ने स्वयं दरवाजा खोला था और अनीता और एकता के शव चोटों के साथ पड़े हुए पाए गए थे। प्रदर्श डी-1 के मद्देनजर इस दावे को प्रतिग्रहण करना संभव नहीं है कि दरवाजा अंदर से बंद था और पीडब्ल्यू 7 और अन्य द्वारा धक्का दिया गया था। दरवाजे को अंदर से बंद

करना आत्महत्या के सिद्धांत के अनुरूप होता, लेकिन चिकित्सा साक्ष्य के परिणामस्वरूप वह सिद्धांत ध्वस्त हो गया। इसलिए, हम यह प्रतिग्रहण करने के लिए सहमत हैं कि प्रदर्श डी-1 से क्या निकलता है कि प्रतिवादी ने खुद ही दरवाजा खोला था और शवों को जला हुआ पाया था।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 पर भरोसा करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि प्रदर्श डी.-1 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी के खिलाफ पढ़ा जा सकता है। धारा 162 की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं और उन मामलों को शासित करती हैं जहां दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के तहत 'जांच के दौरान'एक पुलिस अधिकारी को बयान दिए जाते हैं। विवरण प्रदर्श डी-1 न तो जांच के दौरान दिया गया था और न ही इसे स्वीकारोक्ति कहा जा सकता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यू 14 और 15 की प्रतिपरीक्षा से पता चलेगा कि प्रतिवादी उस बयान पर कायम रहा और उस पर भरोसा किया। हमें कोई कठिनाई नहीं दिखती कि प्रदर्श डी-1 को साक्ष्य के रूप में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता।

13. हालांकि, यह अपने आप में किसी भी संदेह से परे स्थापित नहीं होता है कि केवल प्रतिवादी ही अनीता और एकता की मौत के लिए जिम्मेदार था। भले ही प्रदर्श डी-1 से उभरने वाली परिस्थिति को

प्रतिवादी के खिलाफ माना जाता है, जो रिकॉर्ड पर किसी भी कनेक्टिंग सामग्री के बिना, प्रतिवादी के खिलाफ मामला पर्याप्त नहीं है।

14. श्री जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने निवेदन में सही है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन अभियुक्त को दोषमुक्त करने के विरुद्ध आ रहा है और गंभीर आरोप पर दोषसिद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है, अभियुक्त को दोषमुक्ति के लिए अभिवचन करने का अधिकार है। बरी करने के लिए इसी तरह की याचिका पर विचार करते हुए, हालांकि इस अदालत ने तथ्यों पर दलील को खारिज कर दिया, कानूनी स्थिति को इस अदालत ने चंद्रकांत पाटिल बनाम राज्य (1998) 3एससीसी 38 में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया था:

> "7. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य क़ानून के तहत अपीलीय प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति होती है। उपर्युक्त विधिक स्थिति को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा ***दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंहएआईआर 1954 एससी 520*** और बाद में विनिश्चयों की एक श्रृंखला में मान्यता प्रदान की गई है

(देखिए ***अरुणाचलम बनाम पी. एस. आर. साधनांथम (1979) 2 एससीसी 297, दिल्ली न्यायिक सेवा असोसिएशन बनाम गुजरात राज्य*) *(1991) 4 एससीसी 406***।

9. अब यह लगभग तय हो चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व्यापक आधार पर हैं। अपने प्रयोग में वह शक्ति केवल दो शर्तों द्वारा परिचालित है, पहली यह है कि इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय अन्यथा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और दूसरा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक होना चाहिए या मामला उसके समक्ष लंबित है।

15. रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर, मौतों को कभी भी आत्महत्या का मामला नहीं कहा जा सकता है और परिणामस्वरूप धारा 306 के तहत प्रतिवादी की दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुचित थी। साथ ही रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्णायक रूप से यह स्थापित करे कि प्रतिवादी अपराध का लेखक (कर्ता) था। अभियुक्त के अपराध को छोड़कर रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियां हर दूसरी परिकल्पना से इंकार

नहीं करती हैं। हमारे विचार में संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रतिवादी संदेह के लाभ का हकदार है और उसे भा.दं.सं. की खंड 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

16.इस प्रकार, इस अपील को खारिज करते हुए, हम प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप से बरी करते हैं। अपील इन शर्तों में निपटाया जाता है।

न्यायाधीश(आदर्श कुमार गोयल)

न्यायाधीश(उदय उमेश ललित)

नई दिल्ली,

11 अप्रैल, 2017

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।